



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना नगीना देहात

दिनांक 05.06.2025

थाना नगीना देहात पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 142/25 धारा 137(2)/61 बीएनएस से संबंधित 02 अभियुक्तों को घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल सहित किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 04.06.2024 को वादी ने थाना नगीना देहात पर तहरीर कि मोटरसाइकिल न0 UP 20CD 8372 पर सवार व्यक्ति (नाम, पता, अज्ञात) वादी की भतीजी को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नगीना देहात पर मु0अ0सं0 142/25 धारा 137(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में 1. गौरव पुत्र रतन निवासी ग्राम राजारामपुर तुलसी थाना मंडावली जनपद बिजनौर 2. प्रिंस पुत्र गौतम निवासी ग्राम रानीकोटा थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर के नाम प्रकाश में आए व अभियोग में धारा 61 बीएनएस की वृद्धि की गयी तथा स्थानीय पुलिस द्वारा अपहर्ता युवती को सकुशल बरामद किया गया।



कार्यवाही:-

थाना नगीना देहात पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्तों 1. गौरव पुत्र रतन निवासी ग्राम राजारामपुर तुलसी थाना मंडावली जनपद बिजनौर व 2. प्रिंस पुत्र गौतम निवासी ग्राम रानीकोटा थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर को घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया गया। बरामद मोटरसाइकिल को 207 MV एक्ट में सीज किया गया। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. गौरव पुत्र रतन निवासी ग्राम राजारामपुर तुलसी थाना मंडावली जनपद बिजनौर
2. प्रिंस पुत्र गौतम निवासी ग्राम रानीकोटा थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर

बरामदगी:-

मोटरसाइकिल न0 UP 20CD 8372

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. उ0नि0 हिमान्शु थाना नगीना देहात बिजनौर
2. है0का0 642 अजय कुमार थाना नगीना देहात बिजनौर
3. है0का0 462 शैलेन्द्र थाना नगीना देहात बिजनौर
4. 1772 मंजू तोमर थाना नगीना देहात बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना धामपुर

दिनांक 05.06.2025

थाना धामपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 212/25 धारा 65(2) बीएनएस व 5M/6 पॉक्सो अधिनियम में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 04.06.2025 को वादी ने थाना धामपुर पर तहरीर दी कि वादी से पूर्व से परिचित राजू उर्फ राजकुमार पुत्र राधेश्याम नि0 ग्राम बरारी थाना ईसानगर जनपद लखीमपुर खीरी हाल निवासी ग्राम गजरौला थाना धामपुर जनपद बिजनौर ने वादी की नाबालिग पुत्री के साथ गलत कार्य किया । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना धामपुर पर मु0अ0सं0 212/25 धारा 65(2) बीएनएस व 5M/6 पॉक्सो अधिनियम पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही:-

थाना धामपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त राजू उर्फ राजकुमार पुत्र राधेश्याम नि0 ग्राम बरारी थाना ईसानगर जनपद लखीमपुर खीरी हाल निवासी ग्राम गजरौला थाना धामपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

राजू उर्फ राजकुमार पुत्र राधेश्याम नि0 ग्राम बरारी थाना ईसानगर जनपद लखीमपुर खीरी हाल निवासी ग्राम गजरौला थाना धामपुर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

- 1.उ0नि0 श्री बिजेन्द्र धामा थाना धामपुर जनपद बिजनौर
- 2.का0 2147 अंकित थाना धामपुर जनपद बिजनौर
- 3.का0 322 अमित थाना धामपुर जनपद बिजनौर
- 4.का0 1285 अर्जुन थाना धामपुर जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना स्योहारा

दिनांक 05.06.2025

**थाना स्योहारा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 221/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस में
वांछित 03 अभियुक्तों को चोरी किए गए दान पात्र सहित किया गिरफ्तार ।**

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 04.06.2025 को वादी रविन्द्र चौहान पुत्र जगन्नाथ सिंह निवासी ग्राम सब्दलपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ने थाना स्योहारा पर तहरीर दी कि दिनांक 02.06.2025 को झण्डे वाले बाबा मन्दिर से दान पात्र चोरी हो गया था तथा दिनांक 04.06.2024 को कबाडी की दुकान पर दान पात्र बेचते समय वादी द्वारा अभियुक्तगण 1. फैशल पुत्र अशरफ 2. आरिष पुत्र दिलशाद 3. फईम पुत्र निजामुद्दीन निवासीगण ग्राम सब्दलपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को पकड़ लिया गया व बाबू पुत्र सलीम निवासी ग्राम सब्दलपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर मौके से भाग गया । इस संबंध में थाना स्योहारा पर मु0अ0सं0 221/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही:-

थाना स्योहारा पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्तगण 1. फैशल पुत्र अशरफ 2. आरिष पुत्र दिलशाद 3. फईम पुत्र निजामुद्दीन निवासीगण ग्राम सब्दलपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को मन्दिर से चोरी किए गए दान पात्र सहित गिरफ्तार किया गया । अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. फैशल पुत्र अशरफ निवासी ग्राम सब्दलपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
2. आरिष पुत्र दिलशाद निवासी ग्राम सब्दलपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
3. फईम पुत्र निजामुद्दीन निवासी ग्राम सब्दलपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

बरामगदी:-

चोरी किया गया एक दान पात्र ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नगीना

दिनांक – 05.06.2025

थाना नगीना पुलिस ने मु0अ0सं0 94/2025 धारा 64(2)(e)/123 बी0एन0एस व 3(2)(V) एससी/एसटी एक्ट से सम्बंधित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 04.06.2025 को वादिया / पीडिता ने थाना नगीना पर तहरीर दी कि वह 4-5 दिन से पीयूष नर्सिंग होम धामपुर रोड नगीना में कार्य कर रही थी। दिनांक 03.06.2025 को पीडिता अपने घर से पीयूष नर्सिंग होम में काम करने के लिये गयी तो पीडिता ने अपने पेट दर्द होने के कारण डॉ0 जितेन्द्र कुमार उर्फ विककी पुत्र रोहताश निवासी ग्राम नन्दपुर थाना नगीना जनपद बिजनौर से दवा देने के लिये कहा तो डॉ0 जितेन्द्र ने नशीला इन्जेक्शन लगाकर पीडिता के बेहोश होने पर उसके साथ गलत काम किया। घटना के सम्बन्ध में पीडिता की तहरीर के आधार पर विपक्षी डॉ0 जितेन्द्र के विरुद्ध थाना नगीना पर मु0अ0सं0 94/2025 धारा 64(2)(e)/123 बी0एन0एस व 3(2)(V) एससी/एसटी एक्ट पंजीकृत किया गया।



कार्यवाही –

आज दिनांक 05.06.2025 को थाना नगीना पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से सम्बंधित अभियुक्त डॉ0 जितेन्द्र कुमार उर्फ विककी पुत्र रोहताश निवासी ग्राम नन्दपुर थाना नगीना जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

डॉ0 जितेन्द्र कुमार उर्फ विककी पुत्र रोहताश निवासी ग्राम नन्दपुर थाना नगीना जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.उ0नि0 जोगेन्द्र बैसला थाना नगीना जनपद बिजनौर
- 2.कां0 1933 शेर सिंह थाना नगीना जनपद बिजनौर
- 3.कां0 1834 सचिन थाना नगीना जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना शेरकोट

दिनांक – 05.06.2025

थाना शेरकोट पुलिस ने मु0अ0सं0 098/2025 धारा 191(2),191(3),115(2),352,109,190,3(5), 118(1) बीएनएस से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों को घटना में प्रयुक्त ग्राइन्डर सहित किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 03.06.2025 को समय लगभग 19.00 बजे थाना शेरकोट क्षेत्रान्तर्गत ग्राम उमरपुर आशा निवासी प्रद्युम्न पुत्र बनवारी व अनिरुद्ध पुत्र बनवारी का आपस में पुर्व की मुकदमेंबाजी को लेकर झगडा हो रहा था । इसी दौरान रिकी (उम्र करीब 25 वर्ष) पुत्री अनिरुद्ध द्वारा किये जा रहे बीचबचाव के दौरान रिकी उपरोक्त के ताऊ प्रद्युम्न उपरोक्त द्वारा रिकी के पेट में ग्राइन्डर (लोहा काटने का यंत्र) से वार कर दिया जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गयी थी, जोकि वर्तमान में उपचाराधीन है । इस सम्बंध में वादी सहदेव सिंह पुत्र अनिरुद्ध की तहरीर के आधार पर थाना शेरकोट पर मु0अ0सं0 098/2025 धारा 191(2),191(3), 115(2),352,109,190,3(5),118(1) बीएनएस बनाम 1.प्रद्युमन पुत्र बनवारी आदि कुल 05 नामजद पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही –

आज दिनांक 05.06.2025 को थाना शेरकोट पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में नामित अभियुक्त 1.प्रदुमन पुत्र बनवारी व प्रकाश में आये 2.मनोज पुत्र रमेश निवासीगण ग्राम उमरपुर आशा थाना शेरकोट जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । अभियुक्तों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त ग्राइन्डर बरामद किया गया । अग्रिम कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण –

- 1.प्रदुमन पुत्र बनवारी निवासी ग्राम उमरपुर आशा थाना शेरकोट जनपद बिजनौर
- 2.मनोज पुत्र रमेश निवासी ग्राम उमरपुर आशा थाना शेरकोट जनपद बिजनौर

बरामदगी –

घटना में प्रयुक्त ग्राइन्डर

अभियुक्त प्रदूमन का पूर्व का आपराधिक इतिहास –

- 1.मु0अ0सं0 248/2016 धारा 324/323/504 भादवि थाना शेरकोट जनपद बिजनौर
- 2.मु0अ0सं0 153/2019 धारा 147/148/149/452/307/324/325/323/504/506/34 भादवि थाना शेरकोट जनपद बिजनौर
- 3.मु0अ0सं0 093/2024 धारा 504/506/427 भादवि थाना शेरकोट जनपद बिजनौर

अभियुक्त मनोज का पूर्व का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 248/2016 धारा 324/323/504 भादवि थाना शेरकोट जनपद बिजनौर
2. मु0अ0सं0 153/2019 धारा 147/148/149/452/307/324/325/323/504/506/34 भादवि थाना शेरकोट जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 श्री ललित कुमार थाना शेरकोट जनपद बिजनौर
2. हे0कां0 643 विजयपाल सिंह थाना शेरकोट जनपद बिजनौर
3. हे0कां0 361 राजेन्द्र सिंह थाना शेरकोट जनपद बिजनौर
4. म0कां0 590 रीनू थाना शेरकोट जनपद बिजनौर